भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2899

सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन का विकास

†2899. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में चिकित्सा पर्यटन को विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के चिकित्सा पर्यटन के विकास के लिए क्या कार्रवाई की गई है और भारतीय चिकित्सा-लाभार्थियों को विशेष सेवाओं का लाभ देने के लिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इसके अंतर्गत ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर चिकित्सा उपचार पैकेज उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) चिकित्सा पर्यटक के रूप में दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले कोलकाता, गुवाहाटी और पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों के लोगों हेतु चिकित्सा पर्यटन विकसित करने का सरकार का क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): चूंकि चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन का संवर्धन और विकास मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है, देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति एवं रोडमैप तैयार किया है। इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को चिह्नित किया गया है:

(i) निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड तैयार करना

(ii) चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन हेतु ईको सिस्टम को सुदृढ़ बनाना

(iii) ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजिटलीकरण को सक्षम बनाना
(iv) मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए पहुंच में वृद्धि करना
(v) निरोगता पर्यटन का संवर्धन करना
(vi) शासन एवं संस्थागत कार्यढांचा

तथापि, अपनी चल रही गतिविधियों के भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत ब्रांड-लाइन के अंतर्गत विदेशी महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान चलाता है। चिकित्सा पर्यटन की थीम सहित विभिन्न थीमों पर मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी नियमित रूप से डिजिटल प्रचार किया जाता है।

भारत सरकार ने दिनांक 30.11.2016 को मिले मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसरण में ई-पर्यटक वीजा योजना का उदारीकरण किया और ई-पर्यटक वीजा (ई-टीवी) योजना का नाम बदलकर ई-वीजा योजना कर दिया गया था और वर्तमान में ई-वीजा की उप-श्रेणियों में ई-चिकित्सा वीजा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा शामिल है।

ई-चिकित्सा वीजा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा के मामले में तीन बार प्रवेश की अनुमति है और प्रत्येक मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा 6 माह तक का समय विस्तार दिया जा सकता है। चिकित्सा सहयोगी वीजा प्रधान ई-वीजा धारक के वीजा की वैधता के साथ ही समाप्त होगा ।

इसके अलावा, देश में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और हितधारकों जैसे अस्पतालों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) सुविधाप्रदाताओं, बीमा कंपनियों, एनएबीएच आदि के साथ समन्वय कर रहा है।

****